बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

पू.उ.प्र.अं./43/एसएलबीसी/मार्च 2017/345 06.09.2017

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय/महोदया,

विषय :- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2017 हेतु समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

कृपया राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की त्रैमासान्त मार्च 2017 को समाप्त तिमाही हेतु आयोजित बैठक दिनांक 28.06.2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस क्रम में उपरोक्त बैठक का कार्यवृत्त आपकी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ0 प्र0) की वेबसाइट www.slbcup.com पर अपलोड कर दिया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें प्रेषित करने का कष्ट करें ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इसका समावेश किया जा सके।

भवदीय,

(एस. बी. प्रसाद)
उप महाप्रबन्धक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.)

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.), अंचल कार्यालय, पूर्वी उ.प्र. अंचल, "बड़ौदा हाउस", वी–23, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ –226010
State Level Bankers' Committee (U.P.), Zonal Office, Eastern U.P. Zone, "Baroda House", V-23, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010
फोन / Phone:6677607 (GM), 6677609(Sectt.), 6677722(AGM), 6677721, 6677725 (Deptt.) फैक्स / Fax:0522-6677726, 6677732
ई–मेल / E-mail:slbc.up@bankofbaroda.co.in वेबसाइट / Website : www.slbcup.com

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ. प्र.) की मार्च 2017 तिमाही की दिनांक 28.06.2017 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त

राज्य स्तरीय बैकर्स समिति (उ.प्र.) की मार्च 2017 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 28.06.2017 को कक्ष संख्या 111, योजना भवन, सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ में सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता श्री पी. एस. जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा की गयी।

यह बैठक माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्य नाथ एवं माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार श्री राजेश अग्रवाल की गरिमामयी उपस्थिति में सम्पन्न हुई।

बैठक में श्री राहुल भटनागर, आई.ए.एस., मुख्य सचिव ; श्री चन्द्र प्रकाश, आई.ए.एस., कृषि उत्पादन आयुक्त ; डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त ; श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ; श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ की उपस्थिति प्रमुख रही। साथ ही विभिन्न बैंको के उच्च प्रबन्ध तंत्र से भी कार्यपालकों की उपस्थिति रही जिसमें मुख्यत: बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यकारी निदेशक श्री अशोक कुमार गर्ग एवं कार्पोरेट महाप्रबन्धक श्री जी. बी. भुड़यन ; भारतीय स्टेट बैंक के उप कार्यकारी निदेशक श्री के. वी. हरिदास ; यूनियन बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री विनोद कथूरिया ; सिंडीकेट बैंक के कार्यकारी निदेशक श्री रवि शंकर पाण्डेय मौजूद थे। विभिन्न बैंको/वित्तीय संस्थाओ के वरिष्ठ कार्यपालकों तथा राज्य व केन्द्र सरकार के उच्चाधिकारियों ने भी इस बैठक मे सहभागिता की। बैठक मे भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

बैठक के प्रारम्भ मे श्री बी. एस. ढ़ाका, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओ मे शामिल U P Agri Debt Redemption Scheme, 2017 के अंतर्गत लघु व सीमांत कृषको के फ़सली ऋण खातों से संबन्धित विभिन्न सूचनाओ के संकलन व प्रेषण में सभी बैंको का विशेष सहयोग रहा।
- बैंक शाखा विस्तार कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में एक उप समिति का गठन किया गया है। इसकी प्रथम बैठक दिनांक 04.05.2017 को सम्पन्न हुई जिसमे सभी स्टेकहोल्डर्स द्वारा सहभागिता की गयी। इस उप समिति में हुई चर्चा के क्रम में प्रथम चरण में रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार तैयार रोडमैप के अनुसार चयनित कुल -571- केन्द्रों में से शेष -518- केन्द्रो पर शीघ्र शाखा स्थापना हेतु सघन प्रयास जारी है।
- वित्तीय साक्षारता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिनांक 5 से 9 जून 2017 तक प्रदेश की सभी बैंक शाखाओं में वित्तीय साक्षारता सप्ताह का आयोजन किया गया।
- दिनांक 6 जून 2017 को लखनऊ में House Committee (Lok Sabha) का बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में अध्ययन दौरा हुआ जिसमें माननीय सांसदगणों द्वारा अग्रणी बैंक योजना के अंतर्गत बैंको के योगदान व कार्यप्रणाली पर विस्तृत चर्चा की गयी।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने सभी स्टेक होल्डर्स से इन योजनाओं के सफल क्रियांवयन हेतु पुन: अनुरोध किया एवं एस.एल.बी.सी. से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं व विवरणियों के सही व ससमय प्रेषण करने की आवश्यकता बतायी।

डॉ अनूप चन्द्र पाण्डेय, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव एवं वित्त आयुक्त, उ.प्र. शासन ने अपने सम्बोधन में मुख्यत: प्रदेश शासन द्वारा लागू की जाने वाली फसल ऋण मोचन योजना के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डाला तथा इस योजना से सम्बन्धित विभिन्न पहलूओं पर एक पावर प्वाइंट प्रसेंटेशन किया। इस योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत है -

- योजना की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करते हुए यह बताया कि उत्तर प्रदेश के चतुर्दिक विकास हेतु प्रदेश सरकार द्वारा उठाया गया एक विशेष प्रयास है। इस योजना के अंतर्गत उन कृषकों को विकास की मुख्य धारा में वापस लाये जाने का प्रयास किया जा रहा है जो अपना कर्ज अदा नहीं कर पा रहे हैं।
- ऐसे लघु एवं सीमांत कृषक जिनके द्वारा फसली ऋण 31.03.2016 या इसके पूर्व ऋण प्रदाता संस्थाओं से प्राप्त किया गया हो, राज्य सरकार रू. 1 लाख तक की धनराशि का ऋण मोचन प्रदान करेगी।
- ऋण मोचन धनराशि की गणना के प्रयोजन हेतु दिनांक 31.03.2016 को बकाया धनराशि (ब्याज सहित) से वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में किसान द्वारा आहरित धनराशि या नयी स्वीकृतियों पर विचार किये बिना वित्तीय वर्ष 2016-17 की अवधि में किसान से प्राप्त प्रति भुगतान को घटाकर दिया जायेगा।
- योजनांतर्गत कुछ मानदण्ड तय किये गये है जो किसानो के निवास, भू स्वामित्व इत्यादि से सम्बन्धित है।
- योजनांतर्गत कुछ गतिविधियों को अनाच्छ्दित भी किया गया है।
- विभिन्न हितधारको यथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (NIC), ऋण प्रदाता संस्थाओं, कृषि विभाग, संस्थागत वित्त महानिदेशालय व राजस्व विभाग इत्यादि की भूमिका और दायित्व निर्धारित किये गये है।
- योजना के समयबद्ध कार्यांवयन हेतु जिलास्तरीय समिति, मण्डल स्तरीय समिति तथा राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया गया है जिनके कार्य एवं जिम्मेदारियाँ निर्धारित की गयी है।
- कार्यांवयन प्रक्रिया के अंतर्गत बैंको से डाटा प्राप्त कर उसका समेकन करते हुए NIC द्वारा विभिन्न स्तरों पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु तैयारी कर ली गयी है।
- योजनांतर्गत प्राप्त शिकायतों के निवारण तथा योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु एक शिकायत निवारण पोर्टल विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
- योजना के अंतर्गत वित्तीय संशाधनों की व्यवस्था हेतु वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

बैंको से अनुरोध किया कि इस योजना की मुख्य विशेषताओं के प्रचार प्रसार हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन किया जायें।

उन्होंने विभिन्न बिन्दुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए सभी स्टेकहोलडर्स से सहयोग की अपेक्षा की तथा सदन को यह भी अवगत कराया कि आज इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री के करकमलों द्वारा योजना से सम्बन्धित पुस्तिका का विमोचन भी प्रस्तावित है।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री पी एस जयकुमार, प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभागार में उपस्थित अतिथियों का अभिवादन किया एवं प्रदेश में प्राप्त विभिन्न उपलब्धियों एवं सफलताओं हेतु सभी हितधारको के सहयोग की प्रशंसा की। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने उल्लेख किया कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था भारत में तीसरे स्थान पर है। यहाँ पर 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि व तत्सम्बन्धी गतिविधियों में संलग्न है। सेवा क्षेत्र का योगदान प्रदेश की Gross State Domestic Product (GSDP) में 55% है जिसके बाद उद्योग व उत्पादन क्षेत्र व कृषि क्षेत्र का योगदान क्रमश: 23% व 22% है।

तत्पश्चात उन्होने वैश्विक, आर्थिक स्थिति के विभिन्न पहलूओं पर चर्चा की।

उन्होंने प्रदेश में उभरती हुई विभिन्न नई गतिविधियों व सरकार द्वारा लिये जा रहे सार्थक निर्णयों की सराहना करते हुए आह्वाहन किया कि सभी स्टेकहोल्डर्स अपना भरपूर योगदान दें ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था और सुदृढ़ हो सके तथा यहाँ की आबादी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। अपने सम्बोधन के दौरान श्री पी एस जयकुमार ने 01.07.2017 से प्रभावी होने वाले GST, डिजिटल पेमेंटस व लेस केश सोसाइटी, भीम ऐप का क्रियांवयन, डिजिधन मेलों की प्रगति व बैंको द्वारा प्रदेश में अंगीकृत किये हुए 11000 गाँव के सर्वांगीण विकास हेतु किये जा रहे विभिन्न प्रयासों व प्रगति से अवगत कराया साथ ही साथ उन्होंने सभी बैंको द्वारा इस वर्ष 1100 अन्य गाँवों को अंगीकृत करने व वित्तीय साक्षरता अभियान व अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे अन्य बिन्दुओं पर भी अपने विचार व्यक्त किये। अपने सम्बोधन के दौरान उन्होंने शाखा विस्तार कार्यक्रम की चर्चा करते हुए भारतीय रिजर्व

बैंक के नवीन दिशा निर्देशों जिसमें बैंकिंग आउटलेट्स (Banking Outlets) को परिभाषित किया गया है, के अंतर्गत बैंको से आवश्यक कार्यवाही व सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

अच्छी फसल के लिए किसानों को समय से अपेक्षित वित्तपोषण किया जाना चाहिए। 2017-18 वित्तीय वर्ष हेतु कृषि ऋण का लक्ष्य रू. 10.00 लाख करोड़ के रिकार्ड स्तर पर तय किया गया है। बुआई के साथ, किसानों को प्राकृतिक आपदा के विरूद्ध सुरक्षा का अहसास होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरूआत इसी दिशा में उठाया गया एक अहम कदम हैं। इस योजना के अंतर्गत फसली क्षेत्र का कवरेज 2016-17 में जो 30% था वह बढ़कर 2017-18 में 40% तक सम्भावित और वर्ष 2018-19 में इसके 50% तक रहने की सम्भावना है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस योजना के बजट का प्रावधान जो रू 5500 करोड़ था, वह बढ़कर रू. 13240 करोड़ के संशोधित अनुमानित व्यय के स्तर पर कर दिया गया है जिससे बकाया दावों का निस्तारण किया जा सके।

पुर्नमुद्रीकरण की प्रक्रिया में पुन: गतिशीलता आ गयी है और जल्दी ही यह सामान्य स्तर पर पहुँचेगी। विमुद्रीकरण का प्रभाव आने वाले वर्षों में भी रहेगा। आई.एम.एफ. द्वारा वर्ष 2016 में भारत के जीडीपी के बारे में की गयी भविष्यवाणी के आधार पर अनुमानित वृद्धि, वर्ष 2017 में 7.2% और वर्ष 2018 में 7.7% रहने की सम्भावना है। यद्यपि विश्व बैंक, जो अपेक्षाकृत अधिक आशावादी है, ने जीडीपी में 2016-17 में 7%, 2017-18 में 7.6% तथा वर्ष 2018-19 में 7.8% वृद्धि का अनुमान लगाया है। हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हमारी नीतियों पर आधारित है और आगे भी आर्थिक सुधार की प्रक्रिया जारी रहेगी। बैंकिंग प्रणाली में विमुद्रीकरण के कारण जो अधिशेष तरलता इकट्ठा हुई है, उससे उधार लेने की लागत भी कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

<u>राज्य के महत्वपूर्ण संकेतक- व्यवसाय वृद्धि, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की स्थिति एवं शाखा प्रसार योजना आदि</u>

दिनांक 31.03.2017 को कुल जमा और अग्रिम क्रमश: रू. 875456.86 करोड़ एवं रू. 404539.91 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है। कुल अग्रिम राशि में पिछली दिसम्बर 2016 तिमाही की तुलना में कुल रू 29063.28 करोड़ की वृद्धि हुई है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, कृषि एवं कमजोर वर्गो को प्रदत्त ऋण का बकाया स्तर क्रमश: 64.02%; 31.14% एवं 19.46% रहा है जो भारतीय रिजर्व बैंक के मानक स्तर क्रमश: 40%; 18% एवं 10% से अधिकतम स्तर पर है जो एक संतोषप्रद स्थिति है। बैंको द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयास सराहनीय है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल -252- नयी बैंक शाखाएँ खोली गयी जिससे प्रदेश में कुल बैंक शाखाओं की संख्या बढ़कर -18258- हो गयी है। इस क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 30.12.2015 के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. (उ.प्र.) ने समस्त सदस्य बैंको के सहयोग से मार्च 2017 तक कुल -571- नयी ब्रिक व मोर्टार शाखाएँ खोलने का रोडमैप तैयार किया था। इस लक्ष्य के सापेक्ष केवल -50- नई शाखाएँ खोली गयी है। इस बड़े अंतर को देखते हुए इस प्रक्रिया में और तेजी लाने की आवश्यकता है।

<u>वार्षिक ऋण योजना (ACP) 2016-17 के अंतर्गत प्रदर्शन -</u>

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत बैंको द्वारा निर्धारित लक्ष्य रू168397.66 करोड़ के सापेक्ष रू 137451.78 करोड़ का वितरण किया गया है जिससे 81.62% की उपलब्धि हासिल की गयी है। उन्होंने बताया कि आज इस अवसर पर प्रदेश की समेकित वार्षित ऋण योजना 2017-18 का विमोचन किया जाना प्रस्तावित है जिसका आकार रू. 200958.23 करोड़ है तथा यह योजना पिछले वर्ष की कार्ययोजना से 19.33% वृद्धि दर्शाता है।

<u>वित्तीय समावेशन योजना (FIP)- विभिन्न योजनाएँ और पहल -</u>

वित्तीय समावेशन बैंको के लिए आज एक राष्ट्रीय पहल एवं व्यापार का अवसर भी है। इसीलिए हमें विभिन्न वित्तीय समावेशन योजनाओं के सफल कार्यांवयन के लिए अपने प्रयासों को जारी रखने की आवश्यकता है।

प्रधानमंत्री जन धन योजना और अन्य वित्तीय समावेशन योजनाओं उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.); प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) और अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) आदि के अंतर्गत बैंको की उपलब्धियाँ outstanding रही है और इसे विभिन्न स्तरों पर मान्यता प्राप्त हुई है। यद्यपि इन खातों से सम्बन्धित रूपे कार्ड और पिन वितरण एवं इनके सक्रियकरण में और अधिक गतिशीलता लाने की आवश्यकता है। इसी के साथ ओवरड्राफ्ट सुविधा की संस्तुति इन खातों में निरंतर परिचालन, बीमा दावों के निस्तारण की प्रक्रिया, "आधार सक्षम भुगतान प्रणाली" में हुआ लेनदेन, बैंक मित्रों का प्रशिक्षण आदि में और प्रयासों की आवश्यकता है। इन सभी पैरामीटर्स में हुई प्रगति की निरंतर समीक्षा अंतराल पर होने वाली वीडियों कांफ्रेंस मीटिंग के माध्यम से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लगातार की जा रही है।

इसी क्रम में उन्होंने दो प्रमुख राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर जोर दिया यथा 31 मार्च 2017 तक सभी सक्रिय बचत खातों में आधार और मोबाइल नं. की सीडिंग और बैंक मित्रो की कार्यप्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना जिससे बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके।

अटल पेंशन योजना (ए.पी.वाई.) में प्राप्त नवीन प्रगति दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश को योजनांतर्गत अधिकतम सदस्यता संख्या (6.94 लाख) से पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है जो पुन: इस सबसे बड़े राज्य के लिए एक और उपलब्धि प्रदर्शित करती है। वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट परामर्श के अंतर्गत भी प्रदेश में सराहनीय कार्य किया जा रहा है।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना:</u> उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर बैंको द्वारा कुल 59.61 लाख किसानों को नवीनीकरण एवं नये जारी कार्डो की सुविधा से सिंचित किया गया है।

<u>ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) :</u>

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको (ग्रामीण बैंको सहित) का मार्च 2017 में ऋण जमा अनुपात का स्तर 46.21% रहा है जो दिसम्बर 2016 के स्तर (42.67%) से 3.54% वृद्धि दर्शाता है। ऋण जमा अनुपात में कमी के कुछ मुख्य कारण विमुद्रीकरण का प्रभाव, प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, ओलावृष्टि व बाढ़ का निरंतर प्रकोप व उधारकर्ताओं द्वारा स्वीकृत बैंक ऋणों की पूरी लिमिट का उपयोग न करना और बैंक ऋणों की बकाया/ लम्बित वसूली भी प्रमुख है। अब समय की आवश्यकता है कि प्रदेश में ऋण जमा अनुपात का स्तर बढ़ा कर राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाये जिसके लिए समग्र प्रयास करने की जरूरत है।

<u>लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को अग्रिम - पी.एम.एम.वाई./स्टैण्ड अप इण्डिया कार्यक्रम का कार्यान्वयन:</u>

देश में एम.एस.एम.ई. सेक्टर को प्रोत्साहित करने एवं रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हेतु भारत सरकार द्वारा इस प्रमुख योजनाओं की निरंतर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तथा स्टैण्ड अप इण्डिया योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए आह्वाहन किया कि नये वित्तीय वर्ष में इन योजनाओं के लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित की जाये।

<u>ऋण वसूली</u> - कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंक ऋणों की समग्र वसूली क्रमश: 59.18% एवं 61.71% रही है जो पिछले वर्ष के आँकड़ो से मामूली गिरावट प्रदर्शित करती है। प्रदेश में लम्बित लगभग 8.30 वसूली प्रमाण पत्रों में वसूली प्रक्रिया हेतु यद्यपि राज्य सरकार द्वारा भरपूर सहयोग दिया जा रहा है परंतु इसमें और तेजी लाने की आवश्यकता है। एक बार पुन: बैंकर्स का आह्वान करते हुए उन्होंने राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड के द्वारा समय - समय पर जारी निर्देशों का अनुपालन करने एवं इनके द्वारा की जाने वाली बैठकों में ससमय सहभागिता करने हेतु निवेदन किया एवं उनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य प्रणाली बनाने पर बल दिया।

उन्होंने मंचासीन माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश; माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार व प्रदेश शासन के शीर्ष अधिकारियों तथा सदन में मौजूद सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी एवं गरिमामयी उपस्थिति पर सबका धन्यवाद ज्ञापित किया।

प्रदेश के वित्त मंत्री माननीय श्री राजेश अग्रवाल जी ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला :

- लगभग 20 करोड़ की आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पांचवा सबसे बड़ा राज्य है। प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु हमने कार्य प्रारम्भ कर दिया है जिसमें बैंकर्स फ्रेंड्स का सहयोग आवश्यक है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व/निर्देशन में कार्य करते हुए जैसा कि हमारी सरकार ने संकल्प लिया था, प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों द्वारा लिए गये फसली ऋणों को माफ करने की योजना आप सबके सहयोग से तैयार कर ली गयी है। इस हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था हम जल्द ही आगामी बजट में करने जा रहे हैं।
- गन्ना किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए रू0 20 हजार करोड़ से अधिक की धनराशि का भुगतान कराया गया है। प्रदेश में पहली बार आलू किसानों को राहत पहुँचाने की दृष्टि से राज्य सरकार ने 1 लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
- प्रदेश में नई औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति लायी जा रही है जिससे निश्चय ही पूंजी निवेश आकर्षित होने के साथ-साथ बुनियादी अवस्थापना सुविधाओं का विकास होगा एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को बढावा मिलने के साथ-साथ बेरोज़गार युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन मिलेगा।
- आम आदमी के बेहतर जीवन के लिए उद्योग धन्धों की स्थिति में सुधार के लिए प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। प्रदेश के विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं के सुधार, योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियांवयन में नवीनतम तकनीकी का प्रयोग एवं प्रभावी तथा पारदर्शी प्रशासन को प्रमुख स्थान दिया गया है। साथ ही मा0 मुख्यमंत्री जी ने भी उद्योगों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों को आकर्षित करने के लिए ऐसी रणनीति तैयार किये जाने के निर्देश दिये हैं जिससे राज्य के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहयोग मिल सके।
- प्रदेश में उद्यम स्थापित करने हेतु बैंकों से अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता है। इस फोरम के माध्यम से अनुरोध करना चाहूँगा कि परम्परागत उद्योगों एवं शिल्पकारों को दी जाने वाली वित्तीय सुविधाओं का उनके मध्य अधिक प्रचार-प्रसार बैंकर्स भी करें। साथ ही आई0टी0 उद्योग, इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण, डेरी, सौर व पवन ऊर्जा, निर्यात उन्मुख इकाइयों, हथकरघा उद्योग, वस्त्र उद्योग आदि से सम्बन्धित उद्योगों को बढावा देने हेतु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्डअप इण्डिया योजना के लाभार्थियों को अधिक से अधिक ऋण वितरण करें।
- प्रदेश के विकास के लिए हम सभी प्रयासरत है। लखनऊ की भाँति जल्द ही प्रदेश के कानपुर, वाराणासी, आगरा, मेरठ, इलाहाबाद एवं गोरखपुर शहरों में मेट्रो रेल परियोजना शुरू की जाएगी जिसके लिए आगामी बजट में आवश्यक प्रावधान प्रस्तावित हैं।
- प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र विशेषकर बुन्देलखण्ड में एक्सप्रेस वे बनाने की योजना प्रारम्भ की जा रही है। इसके साथ-साथ बुन्देलखण्ड में व्यापक लैंड बैंक बनाकर वहाँ का औद्योगिकीकरण किये जाने पर कार्य चल रहा है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हो सकें।

उन्होंने बैंकर्स से अनुरोध किया कि सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश के सीमित संसाधनों के दृष्टिगत हमें अधिक से अधिक संस्थागत वित्त की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति आपके द्वारा की जानी है। अतः अनुरोध है कि प्रदेश के विकास हेतु क्रियांवित की जा रही विभिन्न रोज़गारपरक योजनाएं जिनके अंतर्गत बैंक वित्त पोषण की आवश्यकता है, उनमें अधिक से अधिक ऋण वितरण कर युवा उद्यमियों को स्वतः रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्य नाथ द्वारा अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- हमारी सरकार द्वारा "सबका साथ- सबका विकास" करने का संकल्प लिया गया है तथा उसका पूरी तरह अनुसरण केन्द्र सरकार के मार्गदर्शन में किया जा रहा हैं।
- हमारे प्रदेश की जनसंख्या का बड़ा भाग (लगभग 78%) गाँवों में निवास करता है और अपनी आजीविका के लिए अधिकांशत: कृषि पर निर्भर है। प्रदेश में किसानों की कुल संख्या का लगभग 93% लघु एवं सीमांत कृषक हैं। स्पष्ट है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक लघु एवं सीमांत कृषकों पर निर्भर है। विगत 3 वर्षों में दैविक आपदाओं- सूखा, बाढ़ तथा ओलावृष्टि का सर्वाधिक कुठाराघात इन कृषकों को ही झेलना पड़ा है। इस दैवीय आपदा के कारण ये कृषक बैंको से फसल उगाने हेतु लिये गये फसली ऋण की अदायगी भी नहीं कर पा रहे है। इन परिस्थितियों में उनके सूदखोरों के मकड़जाल में फसने की प्रबल सम्भावनायें है जिसका सीधा प्रभाव कृषि क्षेत्र की उत्पादकता पर पड़ना निश्चित है जो प्रदेश के विकास की गति को सीधे तौर पर अवरूद्ध करेगा।
- प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने एवं उन्हें पुन: मुख्य धारा में वापस लाने के लिए 04 अप्रैल, 2017 को मंत्रि परिषद की पहली बैठक में ही लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया जिसकी अधिकतम सीमा प्रति किसान रू. एक लाख है।
- इसके अलावा किसानों के एन.पी.ए ऋणों को एक मुश्त समाधान योजना (ओटीएस) के अन्तर्गत समायोजित किये जाने का प्रस्ताव भी विचारणीय है जिस पर बैंको के साथ विस्तृत चर्चा कर अलग से कार्ययोजना तय की जायेगी ताकि ऐसे कृषक पुन: बैंकिंग सेवाओं का लाभ ले सकें जिन्हे ऋण ग्रस्तता के कारण बैंको से फसली ऋण मिलना सम्भव नही था।
- आज मुझे बैंको के समक्ष यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आप सबके सहयोग के चलते फसल ऋण योजना को मूर्त रूप दिया गया है किंतु यह संकल्प तभी पूर्ण होगा जब प्रदेश के प्रत्येक पात्र लघु एवं सीमांत किसान के खाते में आप प्रदेश सरकार द्वारा दी गयी सहायता को पहुँचा दे। मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बैंको को इस कार्य को पूरा करने में राज्य सरकार पूर्ण सहयोग देगी।
- बैंकर्स मित्रों से यह भी कहना चाहूँगा कि वे इस योजना से लाभांवित होने वाले किसानों को ऋण अदायगी के लिए न तो कोई नोटिस जारी करें और न ही उनके विरूद्ध कोई उत्पीड़नात्मक कार्यवाही करें।
- योजना के फील्ड स्तर पर प्रभावी क्रियांवयन सुनिश्चित करने के लिए हमने बैंको के साथ- साथ जिला मशीनरी को भी जोड़ा है। इसके लिए जनपद स्तर पर सम्बन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित करायी गयी हैं जिसमें कृषि तथा विकास से जुड़े विभाग एवं सूचना विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी सदस्य है। जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि योजना का लाभ प्रत्येक लाभांवित होने वाले किसान तक पहुँचे और योजना की जानकारी गाँव - गाँव तक पहुँचाई जाए।
- योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए हमने यह भी तय किया है कि योजना से लाभांवित होने वाले किसानों के बैंक खातों को आधार से लिंक कराया जाय जिसके लिए बैंकर्स के सहयोग की आवश्यकता है। मै बैंकर्स साथियों से यह भी कहना चाहूँगा कि वे जिला प्रशासन से आवश्यक समंवय करते हुए आवश्यकतानुसार किसानों की के.वाई.सी. औपचारिकतायं भी पूर्ण करा लेंवे।
- हमारा यह प्रयास है कि राज्य सरकार का वर्ष 2017-18 का बजट पारित होने के तत्काल बाद लघु एवं सीमांत किसानों की फसल ऋण माफी की समतुल्य धनराशि बैंको को उपलब्ध कराते हुए योजना से लाभांवित होने वाले किसानों को ऋण माफी सम्बन्धी प्रमाण- पत्र उपलब्ध करायें जायें। कृपया ऋण माफी के इस अभियान को एक महायज्ञ के रूप में स्वीकार करते हुए अपना सर्वाधिक श्रेष्ठ सहयोग प्रदान करें।
- साथ ही दूसरी महत्वपूर्ण चुनौती प्रदेश में बैंक शाखाओं की कमी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 16583 बैंक शाखायें (ग्रामीण शाखाओं की संख्या-8176) हैं। प्रदेश में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत लगभग 12000 है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह औसत लगभग 9000 है। इसी प्रकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति बैंक शाखा जनसंख्या का औसत लगभग 21000 है जबकि अखिल भारतीय स्तर पर यह औसत लगभग 17400 है। इस प्रकार अखिल भारत की तुलना में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखायें अपर्याप्त है।जिसे दृष्टिगत रखते हुए हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 के "बुनियादी विकास मजबूत आधार" के

अंतर्गत बैंको के सहयोग से प्रदेश में 25000 गाँवों में बैंक शाखायें उपलब्ध कराये जाने का संकल्प लिया है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने एवं प्रदेश के अन्तिम व्यक्ति तक बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक बैंक शाखायें स्थापित करना अपरिहार्य है। आपसे अनुरोध है कि जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंको को निर्देश (18 मई 2017) भी दिये है, आने वाले समय में आप, उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक "बैंकिंग आउटलेट" खोले ताकि लोगो को आसानी से बैंकिंग सेवायें/ सुविधायें मिल सके। इस संकल्प की पूर्ति के लिये उन्होंने बैंको को यथा सम्भव हर सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आश्वस्त किया।

- बैंको एवं बैंकर्स की सुरक्षा हेतु भी हमारी सरकार संवेदनशील है। आज से प्रदेश के Law & Order की समीक्षा हेतु बैंको की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिन्दु होगा। इस हेतु प्रदेश के महानिदेशक, पुलिस संस्थागत वित्त विभाग के साथ मिल कर बैंको की सुरक्षा हेतु एक सुदृढ़ कार्य योजना तैयार करेंगे।
- आज मुझे आपसे विचार विमर्श करने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया जायेगा। जैसा कि आप सब जानते है, उत्तर प्रदेश की अधिकांश आबादी आर्थिक रूप से कृषि पर निर्भर है। हमारी सरकार किसानों के कल्याण एवं उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए कृत संकल्पित है, इसलिए हमने आप सबके सहयोग को ध्यान में रखते हुए कृषि, उद्यान, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन और सहकारिता को प्रोत्साहित करते हुए किसानों की आय वर्ष 2022 तक दोगुना करने का काम शुरू कर दिया है किंतु यह लक्ष्य तभी मिल सकेगा जब कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी जिसके लिए किसानों की नयी तकनीकि से जोड़ने, कृषि में निवेश बढ़ाने एवं कृषि के लिए वैज्ञानिक विधियों को बढ़ाने की दिशा में हम प्रयासरत है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य प्रकार के मूल्य संवर्धन कार्य- कलापों को बढ़ाने एवं मण्डियों को आनलाइन जोड़ने पर बल दे रही है।
- उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद विकास के इंडेक्स में पिछड़ा माना जाता है। हमारी सरकार के गठन के साथ ही हमने प्रदेश में परिवर्तन, विकास और गरीबों के सशक्तीकरण का एक नया अध्याय लिखने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों को तेजी से बढ़ाते हुए प्रदेश की विकास दर को 10% तक प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य के विकास के लिए आवश्यक वितीय संसाधन उपलब्ध हो सकेंगे। इसके लिए कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्र के साथ साथ उद्योगो को बढ़ावा देने के लिए Ease of doing business व Tax reform जैसे कदम उठाये जा रहे है। प्रदेश की विकास दर को बढ़ाने हेतु उद्योगो को प्रोत्साहन देने की तत्काल आवश्यकता है ताकि प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी तेजी से सुधार परिलक्षित हो। उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश और उद्योग स्थापना की विशाल सम्भावनायें है। हमारी सरकार पूंजी निवेश और उद्योगो की स्थापना के साथ - साथ उद्योगों, उद्यमियों की समस्याओं के समाधान एवं उनके कार्यविस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार नयी औद्योगिक नीति शीघ्र ही लायेगी।
- प्रदेश मे बैंको के योगदान की समीक्षा करते हुए यह पाया गया है कि बैंको के ऋण जमानुपात में पिछले वर्ष (मार्च 2016- 55%) की तुलना में मार्च, 2017 में लगभग 9% की गिरावट आयी है। उत्तर प्रदेश के 18 जनपद ऐसे है जिनका ऋण जमानुपात 40% से भी कम है जो अधिकांशत: पूर्वांचल से सम्बन्धित है। सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर का ऋण जमानुपात 25% से भी कम है। बैंकर्स मित्रों इससे प्रदेश के विकास में क्षेत्रीय असमानता स्पष्त दिखायी देती है। आप प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ कार्ययोजना बना कर इस क्षेत्र में अधिक से अधिक ऋण वितरण करें।
- संस्थागत वित्त विभाग की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि बैंको द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत अपेक्षित ऋण वितरण नही किया गया है। प्रदेश में बैंको की 16500 से अधिक शाखायें कार्यरत है। स्टैण्ड- अप इण्डिया योजना के अंतर्गत यदि एक अनुसूचित जाति/ जनजाति के लाभार्थी एवं एक महिला लाभार्थी को ऋण दिया जाय तो प्रतिवर्ष 33000 नये उद्यमी उत्तर प्रदेश के आर्थिक पटल पर तैयार होंगे, जो प्रदेश के सार्थक विकास में अहम भूमिका का निर्वाह करेंगे।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंको ने उत्तर प्रदेश (जनसंख्या 20 करोड़) में 15 जून 2017 तक 3 लाख लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत किये है। जबकि तमिलनाडु (जनसंख्या- 6.78 करोड़) मे 9.48 लाख एवं कर्नाटक (जनसंख्या- 6.40 करोड़) में 7.40 लाख, महाराष्ट्र (जनसंख्या- 11.24 करोड़) में 4.20 लाख लाभार्थियों को ऋण दिये गये है। इस प्रकार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में भी बैंको ने उत्तर प्रदेश की बड़ी जनसंख्या के आधार पर कम ऋण वितरण किया है। आज इस फोरम के माध्यम से मैं सभी बैंकर्स से अनुरोध करना चाहूँगा कि इन दोनो योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक से अधिक ऋण वितरण करें। मेरा यह भी सुझाव है कि बैंक इन दोनो महत्वपूर्ण रोजगारपरक योजनाओं के लिए एक सुदृढ़ रणनीति बनाले।
- प्रदेश सरकार का प्रदेश के प्रत्येक इच्छुक परिवार के कम से कम एक सदस्य को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य है। इसी प्रकार ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आर- सेटी) के माध्यम से भी स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अत: कौशल विकास मिशन एवं आर- सेटी के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त एवं स्वरोज़गार के इच्छुक व्यक्तियों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करने में बैंकों द्वारा वरीयता दी जाए।
- सरकार के गठन के उपरांत यह महसूस किया गया है कि शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को सस्ती दरों पर आवास ऋण देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश में संतोषजनक कार्य अभी तक नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के अंतर्गत इस वर्ष 10 लाख परिवारों को आवास दिये जाने का लक्ष्य रखा गया है। अवगत ही हैं कि इस योजना का उद्देश्य सभी बेघर परिवारों और कच्चे तथा टूटे-फूटे मकानों में रहने वाले परिवारों को वर्ष 2022 तक बुनियादी सुविधाओं से युक्त पक्का मकान उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए "प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास" मिशन के अंतर्गत कार्यांवित की जा रही है जिसके अंतर्गत पात्र शहरी गरीबों (आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/निम्न आय वर्ग/ मध्यम आय वर्ग) द्वारा आवास के अधिग्रहण/निर्माण के लिए गए गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी दिये जाने की व्यवस्था है। मैं बैंकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि केन्द्र/राज्य सरकार के सबके लिए आवास मिशन को निर्धारित समय सीमा (वर्ष 2022) में पूरा करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें।
- उत्तर प्रदेश का विकास, जो सीधे तौर पर गाँवों के विकास से जुड़ा है, के सर्वांगीण विकास हेतु अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ-साथ रोजगार के अवसर सृजित करने, और ग्रामीण जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाने के लिए बैंकों का सहयोग आवश्यक है। इस लिए आप उत्तर प्रदेश के गांवों को अधिक से अधिक संख्या में गोद लेकर उनके सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में सीधे तौर पर राज्य सरकार से जुड़े एवं ग्रामीण गरीबों की आर्थिक/सामाजिक दशा सुधारने के राज्य सरकार के पुनीत प्रयासों में सहभागी बनें।

श्री अजय कुमार, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, लखनऊ ने अपने सम्बोधन में विभिन्न बिन्दुओं पर निम्नानुसार प्रकाश डाला-

- प्रदेश में विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियांवयन एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में अग्रिमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंकर्स द्वारा सघन प्रयास किये जा रहे है जिसके कारण मुद्रा स्फीति की दर में कमी परिलक्षित हो रही है।
- विमुद्रीकरण की वजह से बैंको में कासा धनराशि में वृद्धि हुई है जिसके कारण आगामी एक दो वर्षो के दौरान ब्याज दरों में कमी सम्भावित है। इस कारण बैंको के व्यवसाय में वृद्धि की आशा है।
- प्रदेश सरकार द्वारा घोषित फसल ऋण मोचन योजना कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाये। साथ ही साथ विभिन्न कृषि ऋण खातों का नवीनीकरण भी प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाये जिससे बैंको में गैर निष्पादक खातों की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो सकें।
- कृषकों की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने कृषि इन्पुटस की लागत, तकनीकी हस्तक्षेप, फसल का खेतों से मण्डी तक पहुँचाने के व्यय में कमी, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि आदि अनेक प्राथमिकताओं पर विचार करते हुए उनके क्रियांवयन पर बल दिया।

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड अप इण्डिया योजनाओं के अंतर्गत बेहतर उपलब्धि हेतु निर्देशित करते हुए उन्होंने बैंको द्वारा एम.एस.एम.ई. क्षेत्र में और बेहतर योगदान हेतु आह्वाहन किया।
- शाखा विस्तार कार्यक्रम, ग्राहक सेवा व गैर निष्पादित आस्तियों की स्थिति पर भी उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए बैंकर्स के सहयोग की अपेक्षा की।

गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के उपरांत पावर प्वाइंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की गयी -

कार्यसूची संख्या - 1

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 27.03.2017 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि :

विगत बैठक दिनांक 27.03.2017 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त जो सभी सदस्यों को दिनांक 14.06.2017 को प्रेषित किया गया था, की सदन द्वारा पुष्टि की गयी।

कार्यसूची संख्या - 2

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 27.03.2017 को आयोजित बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

1. प्रदेश के सभी जनपदों में बैंको द्वारा आर - सेटी संस्थानो की स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम 1 एकड़ भूमि का नि:शुल्क आवंटन :

सदन में विषयक चर्चा करते हुए अवगत कराया गया कि भूमि आवंटन, भूमि अधिग्रहण, समझौता ज्ञापन का निष्पादन तथा लीज डीज का निष्पादन आदि कार्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित बैंको व एस.एल.बी.सी. की उपसमिति द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश के -2- जनपदों यथा बदायूँ और झाँसी में पंजाब नेशनल बैंक द्वारा नयी आर- सेटी की स्थापना की जा चुकी है एवं -3- जनपदों यथा शामली, सम्भल और हापुड़ में नयी आर- सेटी की स्थापना हेतु सम्बन्धित बैंको एवं ग्रामीण विकास विभाग, उ.प्र. द्वारा ग्राम्य विकास विभाग, भारत सरकार के साथ अनुश्रवण किया जा रहा है। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. ने इस प्रकरण पर पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

2. प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं सक्रियकरण तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों के खातों में आधार संख्या की सीडिंग करना :

सदन को अवगत कराया गया कि प्रधानमंत्री जन- धन योजना के अंतर्गत खुले सभी पात्र खातों में जारी रूपे कार्ड के वितरण एवं उनके एक्टिवेशन हेतु विशेष अभियान के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा कैम्प आयोजित किये जा रहे हैं जिसके अंतर्गत कार्ड वितरण एवं एक्टिवेशन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। साथ ही साथ मनरेगा श्रमिकों के खातों, पी.एम.जे.डी.वाई के अंतर्गत खुले खातों व सिविल पेंशनर खातों में आधार सीडिंग का कार्य बैंकों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

3. 5000 एवं अधिक की जनसंख्या वाले ऐसे गाँव जहाँ कोई भी बैंक शाखा नहीं है, वहाँ बैंको द्वारा ब्रिक एवं मोर्टार शाखा खोलने हेतु रोडमैप:

सदन में इस बिन्दु पर चर्चा की गयी। अद्यतन शिथिल प्रगति के दृष्टिगत सभी बैंको द्वारा चिन्हित केन्द्रों पर बैंक शाखा खोलने की प्रक्रिया पर अविलम्ब प्रभावी कार्यवाही कर समय-सीमा में शाखाओं को खोलने की कार्यवाही सम्पादित करने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

4. बैंक मित्रों की स्थिति:

प्रदेश में वितीय साक्षरता के प्रचार- प्रसार हेतु समस्त बैंको द्वारा बैंक मित्रों (Business Correspondents) की नियुक्ति कर उनकी सेवायें ली जा रही हैं। उनकी कार्य प्रणाली पर सदन में चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान सदन

को बताया गया कि विगत दिनों में प्रदेश में सक्रिय बैंक मित्रों का प्रतिशत 88.91 से बढकर 89.34 हुआ है व कुल सक्रिय बैंक मित्रों की संख्या 18918 हो गयी है।

5. बैंको द्वारा LBS MIS- I, II और III विवरणी का ससमय प्रेषण :

एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन में उपस्थित समस्त सम्बद्ध को इन विवरणियों के प्रेषण की महत्ता बताते हुए इनके सुसंगत आँकड़ो के ससमय प्रेषण हेतु अनुरोध दोहराया गया।

कार्यसूची संख्या - 3
वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों का क्रियांवयन

क) प्रधानमंत्री जन - धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.)

सदन को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा लागू इस सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त योजना के अंतर्गत सभी बैंको द्वारा अभी भी खाते खोलना, उनमें पात्र खातों में रूपे कार्ड जारी करना, तथा वितरण और एक्टिवेशन का कार्य सक्रिय रूप से किया जा रहा है। दिनांक 17.05.2017 तक लगभग 4.47 करोड़ नये खाते खोले गये और लगभग 3.54 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड (79.20%) समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में जारी किये गये है।

इसी क्रम में प्रदेश में कार्यरत बैंक मित्रों (Business Correspondents) की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा की गयी। वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में लगभग 10.65% बैंक मित्र निष्क्रिय है, जिनके स्थान पर नये बैंक मित्रों की नियुक्ति की जानी है। इसी के साथ उनका प्रशिक्षण भी आवश्यक है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में -8- स्थानो पर मेगा डिजी धन मेलो का आयोजन किया गया जिसमें जन प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

ख) सुरक्षा योजनाओं का क्रियांवयन -

भारत सरकार द्वारा उदघोषित दोनों सामाजिक सुरक्षा योजनाओं यथा "प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना" व "प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना" एवं एक पेंशन योजना "अटल पेंशन योजना" के अंतर्गत प्रदेश में बैंको द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इन योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त क्लेम्स की स्थिति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में "अटल पेंशन योजना" की प्रगति पर भी विचार विमर्श किया गया तथा उत्तर प्रदेश को पूरे भारतवर्ष में सर्वोच्च स्थान पर रहने पर सदन द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया।

ग) स्कूल बैंक चैम्प्स कार्यक्रम -

सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल के विद्यार्थियों के मध्य वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय जागरूकता का प्रसार करने हेतु भारतीय बैंक संघ ने इस कार्यक्रम की शुरूआत की थी जिसके अंतर्गत प्रत्येक बैंक को कम से कम -1- स्कूल को गोद लेना है और उस विद्यालय के विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराना है। अभी तक लगभग -9649- विद्यालयों एवं 4.70 लाख विद्यार्थियों को वित्तीय साक्षरता से जागरूक किया जा चुका है।

घ) कौशल विकास केन्द्रों की वित्तीय साक्षरता केन्द्र से मैपिंग -

वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर एस.एल.बी.सी. द्वारा कौशल विकास केन्द्रों को प्रदेश के अग्रणी जिलों में कार्यरत वित्तीय साक्षरता केन्द्रों के साथ मैप कर कार्य योजना तैयार की गयी है। इन केन्द्रों पर वित्तीय साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये है।

च) जन- धन शिक्षा कार्यक्रम:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक जिले में बैंको द्वारा कुल -100- विद्यालयों को अंगीकृत कर वित्तीय साक्षरता से उन स्कूल के विद्यार्थियों को जागरूक करना है। अभी तक समस्त बैंको द्वारा प्रदेश में कुल -

7814- स्कूलो को अंगीकृत कर कुल -6352- प्रशिक्षण सेशन में कुल -294101- प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

छ) केन्द्रीय सिविल पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग:

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी बैंको में कैम्प लगाकर उनके सभी केन्द्रीय सिविल पेंशनर के खातों में आधार सीडिंग कराना सुनिश्चित किया जाये। विगत दिनों पेंशन व समाजिक सुरक्षा विभाग, भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रदेश में लखनऊ आदि कुछ जनपदों में इसका निरीक्षण किया गया और उनके द्वारा इस कार्य की प्रशंसा भी की गयी।

कार्यसूची संख्या - 4

(हथकरघा क्षेत्र के अंतर्गत बुनकर क्रेडिट काई योजना का क्रियांवयन)

बुनकर सेक्टर के Revival , Reforms & Restructuring हेतु वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से संशोधित दिशा निर्देश प्राप्त हुए है जो सभी सम्बद्ध को प्रेषित कर दिये गये है। इसके अनुसार यह क्षेत्र अब "मुद्रा योजना": के अंतर्गत शामिल किया जायेगा। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि वर्तमान में प्रदेश में -7- हथकरघा क्लस्टर चिन्हित किये गये हैं जिनके अंतर्गत कार्यशील -14140- हथकरघा बुनकरों को -12- चिन्हित बैंको के सहयोग से वित्त पोषण किया जा रहा है। इस लक्ष्य को 3 वर्ष के अन्दर पूरा करना है। इस कार्यक्रम के क्रियांवयन एवं मूल्यांकन हेतु एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति सिंडीकेट बैंक के समंवयन मे गठित है जिसकी नियमित बैठके आयोजित कर प्रगति समीक्षा की जाती है।

कार्यसूची संख्या - 5

(वार्षिक ऋण योजना 2016-17 की समीक्षा)

वार्षिक ऋण योजना 2016-17 के अंतर्गत मार्च 2017 तक की बैंकवार/ सेक्टरवार प्रगति से सदन को अवगत कराया गया जिसके अनुसार मार्च 2017 तिमाही तक वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति का प्रतिशत 81.62% रहा है। सेक्टरवार कृषि - 79.43%; लघु उद्यम- 112.29% एवं सेवा क्षेत्र- 60.00% की उपलब्धि रही है।

सदन को अवगत कराया गया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत समीक्षा अवधि में समग्र रूप से ऋण वितरण का प्रतिशत विगत वर्ष के सापेक्ष रू. 14266.20 करोड़ (10.38%) अधिक हुआ है।

कृषि क्षेत्र एवं लघु उद्यम क्षेत्रों में भी वितरण का प्रतिशत समग्र रूप से विगत अवधि के प्रतिशत से बढ़ा है। इसी क्रम में वाणिज्यिक बैंको जिसमें प्राइवेट क्षेत्र के बैंको, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको व को- ऑपरेटिव बैंको की उपलब्धियाँ सदन में प्रस्तुत की गयी जो लक्ष्य के सापेक्ष क्रमश: 86.78%; 80.46% एवं 46.94% रहीं।

सदन में उपस्थित समस्त बैंकर्स से यह अनुरोध किया गया कि इस दिशा में समग्र प्रयास करते हुए वर्तमान वित्त वर्ष में प्रदत्त लक्ष्यों की शत प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करें।

चर्चा के दौरान समस्त बैंको से अनुरोध किया गया कि वे अग्रणी जिलों से सम्बन्धित समस्त आँकड़ो के समेकन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप LBS MIS I, II & III का ससमय प्रेषण एस.एल.बी.सी. को करना सुनिश्चित करें ताकि एस.एल.बी.सी. द्वारा समेकित विवरणियों का प्रेषण भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य एजेंसीज को निर्धारित समयावधि पर किया जा सके। उल्लेखनीय है कि इस क्रम में हो रही देरी पर हमारे नियमकों द्वारा रोष व अप्रसन्नता व्यक्त की जा रही हैं।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि नाबार्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु पी.एल.पी. तैयार किया गया है जिसका आकार लगभग रू. 225847.01 करोड़ है। उसके आधार पर जनपदवार "वार्षिक ऋण योजना- 2017-18" तैयार की गयी है। सभी -75- जनपदों की समेकित वार्षिक ऋण योजना के आधार पर संकलित प्रदेश की वार्षिक ऋण योजना 2017-18 तैयार की गयी है, जिसका विमोचन आज यहाँ किया जा रहा है। इस योजना का आकार

लगभग रू. 200958.23 करोड़ है। यह समेकित वार्षिक ऋण योजना नाबार्ड के पी.एल.पी. के सापेक्ष 96.66% है एवं गत वर्ष की वार्षिक ऋण योजना के सापेक्ष 19.35% की वृद्धि दर्शाता है।

कार्यसूची संख्या - 6
(ऋण जमा अनुपात)

प्रदेश के कम ऋण जमा अनुपात (CD Ratio) पर विस्तृत चर्चा की गयी तथा इसे योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाने हेतु कार्य करने पर विचार किया गया। बैंको द्वारा प्रेषित आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि मार्च 2016 के सापेक्ष मार्च 2017 में ऋण जमा अनुपात में 7.67% का ह्रास परिलक्षित हुआ है। इसी क्रम में प्रदेश में -18- ऐसे जिले हैं जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है, उनमें भी ऋण जमा अनुपात बढ़ाने पर चर्चा की गयी। उन बैंको से खास अनुरोध किया गया जिनका ऋण जमा अनुपात 40% से कम है। महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं बाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय, उ.प्र. ने सदन से अनुरोध किया कि एक रोडमैप बनाकर इस दिशा में कार्य करें जिससे जून 2017 में यह अनुपात बढ़ सके।

कार्यसूची संख्या - 7
(पूर्वी भारत में हरित क्रांति योजनांतर्गत प्रदेश में कृषि ऋण प्रवाह की समीक्षा)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश के -28- पूर्वी जनपदों में इस योजना का क्रियांवयन किया जा रहा है। इन जनपदों में नाबार्ड द्वारा प्रेषित सब प्लान के अंतर्गत हो रही कार्यवाही की यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा गठित एस.एल.बी.सी. की उपसमिति की बैठकों में सघन/विस्तृत समीक्षा की जा रही है। चर्चा के दौरान यह भी बताया गया कि उप समिति की पिछली बैठकों में कृषि, मत्स्य आदि विभागों के प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति के कारण विषयक चर्चा सम्भव नहीं हो पाती जिससे उपसमिति की कार्यवाही का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाता।

कार्यसूची संख्या - 8
(किसान क्रेडिट कार्ड/ फसली ऋण/व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना/प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना)

सदन को अवगत कराया गया कि प्रदेश में कार्यरत सभी बैंको द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड योजनांतर्गत आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष हेतु प्रदेश में कुल 35 लाख के.सी.सी. जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष समीक्षा अवधि तक कुल 59.61 लाख किसानों को इस योजनांतर्गत आच्छादित किया गया है जिनमें कुल 42.35 लाख किसानों के किसान क्रेडिट कार्डस का नवीनीकरण तथा कुल 17.25 लाख नये कार्ड, किसानों को जारी किये गये है। साथ ही साथ इस योजना के अंतर्गत किसानों का व्यक्तिगत बीमा एवं उनको दिये गये ऋण का बीमा भी किया जाता है। इस व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत बैंको द्वारा 100% कवरेज रिपोर्ट की गयी है।

भारत सरकार द्वारा संचालित "प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना" का क्रियांवयन सभी बैंको के माध्यम से किया जा रहा है।

इसी क्रम में कृषि निदेशक, उ. प्र. ने किसानों को मिलने वाली बीमा क्षति पूर्ति धनराशि के भी वितरण का उल्लेख किया। बीमा कम्पनियों से यह अनुरोध भी दोहराया गया कि वे बैंको को उनके शाखावार सूची उपलब्ध करा दें जिससे किसानों के खातों में क्लेम की धनराशि जमा हो सके।

कार्यसूची संख्या - 9
(सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु ऋण प्रवाह)

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों को बैंको द्वारा प्रदान किये जा रहे ऋणों की स्थिति पर सदन में चर्चा की गयी। योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि सिडबी की CGTMSE क्षेत्र में वित्त पोषण कवरेज

हेतु लघु उद्यमियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप वित्त पोषण किया जा रहा है। बैंको को इस क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु रू. 1 करोड़ तक Collateral Security न लेने हेतु संशोधित निर्देश जारी किये गये है। सदन को यह भी बताया गया कि इस क्षेत्र में वित्त पोषण के मामले में उत्तर प्रदेश का पूरे देश में प्रथम स्थान रहा है। इसी क्रम में माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा शुभारम्भ किये गये "स्टैण्ड अप इण्डिया" कार्यक्रम की चर्चा की गयी जिसकी प्रगति में सुधार लाने हेतु सघन प्रयास किये जाने का आह्वान किया गया।

इसी क्रम में यह भी अवगत कराया कि प्रदेश के दूर दराज विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बड़े ऋण प्रस्ताव (धनराशि रू 10.00 लाख या अधिक) की उपलब्धता नहीं मिलती हैं। अतः इन क्षेत्रों के लिए ऋण की न्यूनतम सीमा निर्धारित करने पर विचार किया जाये। साथ ही इन क्षेत्रों में लक्ष्यों का निर्धारण शाखावार न कर जनपदवार करने के प्रस्ताव पर उचित स्तर पर निर्णय लिया जाना योजना हेतु हितकर होगा।

कार्यसूची संख्या - 10
(साहूकारी ऋण मुक्ति योजना एवं संयुक्त देयता समूह)

योजनांतर्गत प्रगति से सदन को अवगत कराया गया।

कार्यसूची संख्या - 11
(कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में वसूली, वसूली प्रमाण पत्र निर्गत खाते एवं गैर निष्पादक आस्तियाँ)

सदन में योजनांतर्गत प्रगति प्रस्तुत की गयी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि कृषि एवं प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत प्रदेश में बैंको की कुल ऋण वसूली की स्थिति में सुधार परिलक्षित हो रहा है।

सदन में उपस्थित कुछ बैंको द्वारा अवगत कराया गया कि सरफेसी एक्ट के अंतर्गत वसूली हेतु जनपद स्तर से वांछित सहयोग बैंकर्स को प्राप्त नही हो पा रहा है। इस सन्दर्भ में प्रदेश सरकार द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु निर्देशित किया गया है।

कार्यसूची संख्या - 12
(अल्पसंख्यक समुदाय को वितीय सहायता)

इस सम्बन्ध में सदन को अद्यतन स्थिति से अवगत कराते हुए बताया गया कि प्रदेश के -21- चिन्हित जनपदों में इस समुदाय को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत 21.32% वित्त पोषण किया गया जो 15% के निर्धारित मानक के सापेक्ष उत्साहवर्धक है।

कार्यसूची संख्या - 13
(स्वयं सहायता समूह)

बैंको द्वारा स्वयं सहायता समूहों/महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की योजना नाबार्ड एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं/ विभागों यथा राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, उ.प्र. भूमि सुधार निगम लि. व यू. पी. डास्प इत्यादि के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। साथ ही साथ प्रदेश के चयनित -8- जनपदों में एंकर एन.जी.ओ. के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों के वित्त पोषण की प्रगति रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी।

इसी क्रम में सदन को यह भी अवगत कराया गया कि स्वयं सहायता समूह की समीक्षा हेतु एक उपसमिति का गठन किया गया है, जिसकी नियमित बैठके नाबार्ड द्वारा आयोजित की जाती है जिसमें योजनांतर्गत प्रगति की समीक्षा होती है।

कार्यसूची संख्या - 14

(विभिन्न गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार सृजन कार्यक्रमों की समीक्षा)

"राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन - एन.आर.एल.एम."

भारत सरकार की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका क्रियांवयन प्रदेश के सभी -75- जनपदों एवं -122- चिन्हित विकास खण्डों में Intensive आधार पर किया जा रहा है। इस योजना की प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -10169- स्वयं सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज किया गया हैं व नोडल एजेंसी के सम्वय द्वारा इस कार्यक्रम में निरंतर प्रगति दर्ज की जा रही है। जनपदों व भारत सरकार द्वारा विभागीय साफ्टवेयर व एन.आर.एल.एम. बैंक लिंकेज वेबसाइट पर की जा रही एस.एच.जी. की रिपोर्टिंग में भिन्नता के निदान हेतु बैंकों से इस डाटाबेस का मिलान करते हुए अद्यतन सूचना तैयार करने का अनुरोध किया गया।

आर- सेटी की स्थापना

प्रदेश के -72- जनपदों में बैंको द्वारा आर- सेटी के स्थापना की गयी हैं। एस.एल.बी.सी. की एक उप समिति पंजाब नेशनल बैंक की संयोजकता में गठित है जिसकी नियमित बैठक की जा रही है और जिसमें योजना की निरंतर समीक्षा की जाती है। इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि आर- सेटी से प्रशिक्षित प्रशिक्षुओं को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त पोषण करने हेतु वरीयता प्रदान की जाये जिससे वे अपना रोजगार प्रारम्भ कर सकें।

राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन - एन.यू.एल.एम.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना शहरी वर्ग के लिए है जिसकी नोडल एजेंसी "सूडा" है जो समूहों के साथ साथ व्यक्तिगत लाभ्यार्थियों को भी वित्त पोषित करती है।

इस योजना के दोनों भाग 'एकल एवं समूह' के लिए नोडल एजेंसी द्वारा प्रेषित प्रगति रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की गयी। बैंको से लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध भी किया गया ताकि आवंटित लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम - पी.एम.ई.जी.पी.

भारत सरकार द्वारा लागू की गयी यह योजना नोडल एजेंसी - 'के.वी.आई.सी.' के माध्यम से क्रियांवित की जा रही है। इस योजना की प्रगति के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति से सदन को अवगत कराते हुए यह बताया गया कि स्वीकृत की गयी धनराशि 30.06.2017 से पहले वितरण कराने हेतु अनुरोध दोहराया गया। इसी क्रम मे सदन को अवगत कराया गया कि इस योजना के आवेदन पत्र अब ऑनलाइन पोर्टल पर ही अपलोड किये जाने है। साथ ही पिछले वर्ष के मार्जिन मनी की धनराशि को भी ऑनलाइन क्लेम करने हेतु अनुरोध दोहराया गया।

विशेष समंवित योजना (एस.सी.पी.)

इस योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के निस्तारण एवं हुई प्रगति पर चर्चा की गयी। सदन को अवगत कराया गया कि समीक्षा अवधि के दौरान कुल -32382- आवेदन पत्र स्वीकृत किये गये एवं कुल -11357- मामलों में वितरण की कार्यवाही की गयी। यह प्रगति निर्धारित लक्ष्य -1,00,000- के सापेक्ष प्राप्त कुल -79137- आवेदन पत्रों के अंतर्गत अर्जित की गयी है।

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना

प्रदेश सरकार की यह एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ विशेष विनिर्माण उद्योगों को विकसित करने हेतु वित्त पोषण किये जाने का प्रावधान हैं। इस योजना के अंतर्गत ब्याज उपादान (Interest

Subsidy) की धनराशि प्रदेश शासन द्वारा प्रदान की जाती है। सभी मामलों में ब्याज उपादान राशि प्राप्त करने हेतु बैंको से पुन: अनुरोध किया गया। नोडल विभाग द्वारा यहाँ बताया गया कि ब्याज उपादान की धनराशि प्रेषित कर दी गयी है जिसे प्राप्त करने के लिए सभी बैंक अपने अपने क्लेम्स फार्म्स शीघ्र ही प्रेषित कर दें जिससे वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले धनराशि प्राप्त हो सके।

<u>कामधेनु/ मिनी कामधेनु/ माइक्रो कामधेनु एवं कुक्कुट विकास योजना</u>

दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु प्रदेश सरकार की यह एक महत्वाकाँक्षी योजना है जिसकी समीक्षा प्रदेश सरकार द्वारा उच्च स्तर पर की जा रही है। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों के त्वरित निस्तारण हेतु समस्त बैंको से अनुरोध किया गया। सदन में चर्चा के दौरान नोडल विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि कामधेनु एवं मिनी कामधेनु योजना वर्ष 2017 से समाप्त कर दी गयी है परंतु माइक्रो कामधेनु योजनांतर्गत लक्ष्य प्राप्ति हेतु समस्त बैंकों द्वारा प्रयास किये जा रहे हैं।

<u>कार्यसूची संख्या - 15</u>
<u>(भारत सरकार की नवीन योजनाएँ)</u>

<u>(क) एग्रीक्लीनिक/ एग्रीबिजनेस केन्द्र -</u>

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु कृषि स्नातकों के लिए यह योजना प्रारम्भ की गयी है। योजनांतर्गत प्रगति सदन के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसके अंतर्गत -440- इकाइयाँ स्वीकृत की गयी है एवं इन सभी इकाइयों में मार्च 2017 तक कुल रू 1224.85 लाख की धनराशि वितरित की गयी हैं।

<u>(ख) ग्रामीण भण्डारण हेतु कैपिटल इंवेस्टमेंट - सब्सिड़ी योजना -</u>

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादों के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण, नवीनीकरण अथवा भण्डारण क्षमता के विस्तार हेतु यह योजना लागू की गयी है। योजनांतर्गत कार्यवाही हेतु बैंकर्स से अनुरोध किया गया।

<u>कार्यसूची संख्या - 16</u>
<u>(शैक्षिक ऋण)</u>

योजनांतर्गत प्रगति सदन में प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार समीक्षा अवधि के दौरान कुल -6371- मामलों में कुल रू. 125.22 करोड़ की धनराशि वित्त पोषित की गयी।

<u>कार्यसूची संख्या - 17</u>
<u>(बैंको के विरूद्ध अपराधिक घटनाऐं)</u>

चर्चा के दौरान सदन को बैंकों से सम्बन्धित निम्न -3- आपराधिक मामलों के विषय में बताया गया:-

1. बैंक ऑफ बड़ौदा, सुल्तानपुर क्षेत्र की पन्हौना शाखा में दिनांक 31.03.2017 की मध्यरात्रि को परिसर की दीवार में छेदकर लूट का प्रयास किया गया। प्राथमिकी रिपोर्ट शिवरतनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गयी हैं जिसकी संख्या 0369 दिनांक 01.04.2017 हैं।
2. बैंक ऑफ बड़ौदा, फैज़ाबाद क्षेत्र की मायाबाज़ार शाखा में दिनांक 26.03.2017 की मध्यरात्रि को परिसर की खिडकी तोड़कर शाखा में प्रवेश कर रू. 5,05,671/- की लूट। प्राथमिकी रिपोर्ट महाराजगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गयी हैं जिसकी संख्या 0169 दिनांक 27.03.2017 हैं।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा, कानपुर क्षेत्र की किसान नगर शाखा में दिनांक 12.03.2017 की मध्यरात्रि को परिसर की खिडकी से लगे ग्रिल गेट को तोड़कर शाखा में प्रवेश कर सेफ से रू.6,00,075/- नकद की लूट।

प्राथमिकी रिपोर्ट साचेन्ही पुलिस स्टेशन में दर्ज करा दी गयी हैं जिसकी संख्या 0171 दिनांक 12.03.2017 हैं।

इस क्रम में पुलिस विभाग के प्रतिनिधि ने सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए समस्त बैंकर्स को जागरूक करने हेतु सुझाव दिया गया व उपरोक्त मामलों में आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया।

<u>कार्यसूची संख्या - 18</u>

<u>(अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दुओं पर चर्चा)</u>

1. नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली से पधारे प्रतिनिधि द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति समीक्षा एस.एल.बी.सी. की बैठक के दौरान किये जाने का अनुरोध किया। चर्चा के दौरान सदस्यों द्वारा उनसे अनुरोध किया गया कि प्रदेश में अर्जित अद्यतन प्रगति की सूचना से अवगत कराया जाये तथा इस विषय में जागरूकता इत्यादि के उद्देश्य से नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा किये जा रहे प्रयासों की जानकारी भी उपलब्ध करायी जाये।

2. नाबार्ड, लखनऊ के प्रतिनिधि द्वारा पंजीकृत "कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs)" के वित्त पोषण हेतु बैंकर्स द्वारा सहयोग हेतु अनुरोध किया गया। उन्होंने इन संगठनों के वित्त पोषण के लिए एक निश्चित दिशा निर्देश जारी करने की आवश्यकता पर बल दिया। इसी क्रम में कृषि क्षेत्र के स्थिरता लाने हेतु Agriculture Term Lending का अंश जो वर्तमान में 15% है, उसे बढ़ाकर 25% तक किये जाने के प्रावधान हेतु सुझाव दिया जिससे Investment Credit में बढ़ोत्तरी हो सके।

   सरकार प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत नाबार्ड के माध्यम से बैंको को प्रेषित सब्सिडी के सापेक्ष Utilization Certificate के बैंको द्वारा ससमय प्रेषण हेतु अनुरोध किया।

3. सदन में एक पी आइ एल संख्या 26615 वर्ष 2015 पर विस्तृत चर्चा की गयी जो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (RKBY) के उचित कार्यांवयन के सम्बन्ध में दायर की गयी थी। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.01.2017 का उल्लेख किया गया जिसमें फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु बैंको को निर्देशित किया गया है, जिसके अनुसार इस योजना के क्रियांवयन में किसी भी स्तर से लापरवाही न बरती जाये और किसानों का नुकसान न हो।

बैठक के अंत में श्री राकेश शुक्ला, महाप्रबन्धक, पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक दिनांक 28.06.2017 - कार्य बिन्दु (Action Points)

Sr. No	Issue	Status	Required Action
1.	Allotment of minimum 1 Acre of land by the State Govt. to the Banks and setting up of R-SETIs in -3- remaining Districts of the State.	All Lead Banks in the State have so far established -75- RSETIs in the rental buildings/own buildings in the State. The State Govt. has approved allotment of land in respect of -73- Districts so far. In -2- Districts viz. Ghaziabad and Agra, RUDSETIs are already functional. However, in some of the districts where the land was identified/ allotted earlier, certain issues have cropped up subsequently due to which the physical possession, execution of MoU & lease deed and inturn construction of the building etc. could not commence. The district wise issues are being discussed on quarterly basis in the Sub- Committee Meetings under the Convenorship of Punjab National Bank. The detailed position also stands communicated to the Nodal Agency- UPSRLM & SPC, MoRD, GoI for their necessary action & resolution of the issues concerned. Further, MoRD, Govt. of India has issued specific guidelines regarding release of Grant in Aid. In view of the above mentioned facts, it becomes necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made to be eligible for receipt of funds/grant from GoI after allotment of land by the State Govt. -2- Lead Banks have yet to establish RSETIs in their Lead Districts viz. Punjab National Bank (Shamli) and Syndicate Bank (Sambhal & Hapur). It is informed by PNB & Syndicate Banks that necessary approval in this regard is yet to be received from MoRD, GoI, in spite of the regular followup. It is pertinent to mention that UPSRLM conducted a Meeting all major Banks on 30.05.2017 under the chairmanship of Mission Director, UPSRLM, Lucknow. All the issues were discussed at lenghth and the Mission Director has assured of resolution of various issues.	As discussed during the Meetings, the State Govt. is requested to speed up the process for clearance of land allotment in all the Districts where certain issues are reported by the concerned banks and which require the State Govt. intervention. In view of the guidelines issued by MoRD, it becomes all the more necessary that the RSETIs do complete various stages of formalities required to be made for receipt of grant from GoI. All the Lead Banks are also requested to ensure that necessary formalities for construction of the RSETI buildings are completed at the earliest so that RSETIs may start functioning in their own buildings. Both the Lead Banks i.e. PNB & Syndicate Bank are once again requested to follow up the matter with MoRD, GoI for setting up of RSETIs in their selected left out Districts. The State Govt. intervention with MoRD in this regard is also requested to yield the desired results at the earliest. (Action : Commissioner, Rural Development, GoUP & all Lead Banks)
2.	Distribution & Activation of RUPAY Cards issued under PMJDY & also Aadhaar Seeding in Bank Accounts of beneficiaries under various Govt. programmes	Under the PMJDY, the Banks in the State opened large number of Bank Accounts which have been issued the RUPAY debit cards. However, it is observed that distribution of these cards and inturn their activation could not happen for various reasons. Further, the Govt. of India is emphasizing upon the Aadhaar Seeding in Bank accounts of the beneficiaries under various Govt. programs viz. MANREGA, Central Government Pensioners, DBT beneficiaries etc. However, the desired results are not forthcoming. Accordingly, the DFS, MoF, GoI & the State Govt. has initiative various steps and issued necessary instructions to the Banks to bring about marked improvement in the aforementioned areas including organizing special camps, field visits, taking services of the Business Corresponents etc. The Banks have taken all necessary steps in this direction for ensuring achievement of the desired results.	In view of the importance attached to these issues, the Banks are requested to continue their ongoing efforts more vigorously so as to achieve the desired goals. (Action: All Banks)

3.	Opening of Brick & Mortar Branches of SCBs (including RRBs) in the villages having population of 5000 & above which are still not having a branch of SCBs (including RRBs) as per the Roadmap.	In tune with, RBI's instruction vide letter no. FIDD.Co.LBS.BC.No.82/02.01.001/2015-16 dated 31.12.2015, a Roadmap was prepared in the State and -571- centres have been identified for opening of a new B & M Branch. This allocation exercise was finalized in consultation with all concerned and was approved by the respective DCCs in the District. The detailed modalities of this scheme had been communicated by SLBC to all concerned vide communication no. EUPZ/42/SLBC/Br. Expansion/129 dated 01.04.2016 with a request to complete this exercise within the set timeline of March 2017. Till March 2017 -51- Bank Branches have been opened by various banks leaving a gap of -521- branches to be opened at the erliest. A detailed discussion has taken place during a Sub – Committee Meeting dated 04.05.2017 at Bank of Baroda. The issue has been effectively taken up with all Banks by SLBC.	RBI has expressed their concern & displeasure over no marked improvement in this regard. All -31- Banks who have been allocated their share for opening of Branches are requested to initiate urgent suitable action so that the targets are achieved with in the set timelines. (Action: All -31- Banks)
4.	Submission of LBS MIS I, II & III Statements by Banks	The Reserve Bank of India has issued guidelines vide Master Circular – RBI/2016-17/02 FIDD.CO.LBS.BC.No. 5/02.01.001/2016-17 dated 01.07.2016 for submission of various periodical returns on prescribed format LBS MIS I, II & III under the Lead Bank Scheme. The position of disbursement, outstanding and recover is monitored by various authorities on the basis of Bank-wise data. However, it is experienced that the periodical data is not submitted to the SLBC as per prescribed time schedule which ultimately leads to the inordinate delay in submission of the consolidated information to RBI in respect of the various Banks in the State. In view of the statutory requirement and the importance of this data base, the Banks are required to invariably submit the periodical information on prescribed proforma as per prescribed time schedule to the SLBC. Incidentally, this issue is being regularly taken up by SLBC with all Banks for necessary action and resolution.	In view of the fact that the desired outcome is not yet forthcoming and Reserve Bank of India has viewed it seriously, the Banks are requested for suitable necessary action in this regard in tune with extant guidelines of Reserve Bank of India. (Action: All Banks)
5.	Effective Implementation of Pradhan Mantri MUDRA Yojana (PMMY) & Stand Up India (SUI) Schemes in the State in order to achieve the set Annual Targets	The PMMY & Stand Up India Schemes are Govt. of India sponcered Schemes and were launched with effect from 08th April 2015 and 05th April 2016 resepctively. Under PMMY, the Annual Targets are received by the Banks in the State from their Corporate Office which inturn are distributed up to the Branch Level. Under the SUI, every branch is require to finance -1- SC/ ST and -1- Women Enterprenoure. It would be pertinent to mention that under PMMY, the maximum Ceiling of the loan account per benifitiary is Rs. 10 lacs while under the Stand Up India Scheme, the projects ranging from Rs.100001/- up to Rs. 1 Crore are covered.	Owing to the utmost importance attached to the issue with regard to achievement of set annual targets, all Banks are requested to activily participate under the scheme implementation and endevour to achieve the set Annual Targets. (Action: All Banks)

		The Progress under PMMY during 2015-16 and 2016-17 at the level of 80.97% and 91.24% respectively against the set Annual Targets indicate that Banks are activily involved in the process of scheme implementation. Similarly, under Stand Up India scheme, the performance of the Banks has remained at the level of approx. 12% during the first year of its implementation. The low performance, is a matter of concern at all levels and is attributed to various reasons which requires certain modifications under scheme implementation. **The Targets for Fiscal 2017-18 are already finanlized and the progress is being closely monitored by various authorities. In view of the fact that both these schemes are aimed at employment generation, fullfiling the assigned targets is also necessary and is being reviewed by the State Governement as well.**	
6.	**Implementation of Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY) to fulfill the National objective of Housing for all.**	**The Scheme was launched by Hon'ble Prime Minister on 17.06.2015. The Scheme has four verticals viz. "In Situ" Slum Redevelopment, Affordable Housing though Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership, Subsidy for benefitiary- led individual house construction. The Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) is being implemented through Primary Lending Institution (PLI) wherein National Housing Bank and HUDCO have been identified as Central Nodal Agency (CNA). The Scheme coveres EWS, LIG and MIG Sections of the society and coveres various loan components up to Rs. 18 lacs.** **The Government is playing a lot of thrust on the Housing Sector and this scheme being implemented through Banks with a Subsidy component is being closely monitored.**	**Lookin to the impotance of the Scheme and thrust on housing, Banks are requested to activily participate under scheme implementation.** **(Action: All Banks, ; Central Nodal Agency)**

List of the participants for SLBC (UP) Meeting dated 28.06.2017

PARTICIPATION SHEET

Sr. No.	Organization	Designated Member	Status of Participation	Participating Authority & Contact Details			
				Designation	Name	Contact No.	Email_ID
1	Govt. of U.P.	Chief Minister	Yes	Chief Minister	Shri Yogi Aditya Nath		
2	Govt. of U.P.	Finance Minster, GoUP	Yes	Finance Minister	Shri Rajesh Agarwal		
3	Bank of Baroda, Corporate Office, Mumbai	Chairman & Managing Director / Executive Director	Yes	Managing Director & CEO	Shri P S Jai Kumar		
4			Yes	Executive Director	Shri Ashok Kumar Garg		
5	Bank of Baroda, EUP Zone, Lucknow	General Manager	Yes	General Manager	Shri B S Dhaka	0522-6677607, 9839076446	zm.upu@bankofbaroda.com
6				Zonal Head (WUP&U Zone)	Shri S K Arora	9983321135	zm.wupu@bankofbaroda.com
7				General Manager, BCC, Mumba	Shri G B Bhuyan	7506370577	gm.os.bcc@bankofbaroda.com
8	Reserve Bank of India, Lucknow	Regional Director	Yes	Regional Director	Shri Ajay Kumar		
9				General Manager	Shri Yogesh Dayal	8004921328	rpcdlucknow@rbi.org.in
10				PRO	Shri Sunil Tewari	9415049532	suniltewari@rbi.org.in
11	NABARD, R.O., Lucknow	Chief Gen. Manager	No	General Manager	Ms. Toolika Pankaj	8332852810	toolikapankaj@nabard.org.in
12				Dy. Gen. Manager	Ms. Manjari Deshpande	9453245582	manjari.deshpande@nabard.org.in
13	State Bank of India	Chief Gen. Manager/Gen. Manager	Yes	DMD	Shri Haridas K V	8289099995	dmd.retail@sbi.co.in
14				Chief General Manager	Shri Gautam Sen Gupta		cgm.lkoluc@sbi.co.in
15				General Manager	Shri Shreekant	9437165853	gm3.lholuc@sbi.co.in
16				Dy. General Manager	Shri R N Dixit	9599935515	dgmoutreach.lholuc@sbi.co.in
17				Asstt. General Manager	Shri Hari Om Agarwal	9892133889	agmlb.lholuc@sbi.co.in
18	Allahabad Bank, Lucknow	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri Dinesh Kumar	9417003921	fgmo.luc@allahabadbank.in
19				Senior Manager	Shri Raj Kumar Sharma	9415527540	fgmo.luc-slbc@allahabadbank.in
20	Union Bank of India, Lucknow	Gen. Manager/ State Head	Yes	Executive Director	Shri Vinod Kathuria	7506004900	edvk@unionbankofindia.com
21				Field. General Manager	Shri Lal Singh	9920123101	fgm.lucknow@unionbankofindia.com
22				Chief Manager	Shri Motilal	9918702102	
23	Syndicate Bank	Field General Manager	Yes	Executive Director	Shri R S Pandey	8971055775	edsec@syndicatebank.co.in
24				General Manager	Shri D Sampath Kumar Chary	9415550937	zo.lucknow@syndicatebank.in
25				Senior Manager	Shri S P Yadav	8004912850	fgmo.lucknow@syndicatebank.co.in
26	Bank of India	Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Brajesh Kr. Mohanty	9619299729	nb.north2@bankofindia.co.in
27	Central Bank of India	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	Field. General Manager	Shri S K Khanna	9918001142	zm.luck20@centralbank.co.in
28				Chief Manager	Shri Anil Kumar	9918002151	rdluckzo@centralbank.co.in
29	Punjab National Bank	Field Gen. Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri Rakesh Shukla	7073888700	zm.lko@pnb.co.in
30				Chief Manager	Shri V V Singh	9910818883	vvsingh@pnb.co.in
31				Officer	Shri Nand Kishore	8173000132	nandkishore@pnb.co.in
32	Canara Bank	Chief Gen. Manager/ State Head	Yes	Chief General Manager	Shri V K Shukla	7022793888	vkshukla@canarabank.com
33				Senior Manager	Shri Kirit Nagar	8756993559	
34	Indian Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Asstt. Gen. Manager	Shri Pradeep Pilankar	7233002102	zolucknow@indianbank.co.in
35	Dena Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri S C Bantolia	9721459111	sbantolia@denabank.co.in
36	Punjab & Sind Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Kamlesh Sethi	9833150863	zm.lucknow@psb.co.in
37				Senior Manager	Shri Lalremthanghmar	9650018221	ho.slbccell@psb.co.in
38				Manager	Ms. Yasmin Khan	8874228527	zo.lucknow@psb.co.in
39	Corporation Bank	Dy. Gen. Manager/ State Head	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri Piyush Srivastava	9944988903	piyush@corpbank.co.in
40	Andhra Bank	General Manager/ State Head	Yes	General Manager	Shri L N Rath	9717126188	vssrao@andhrabank.co.in
41				Asstt. Manager	Shri Anil Kumar	8181834989	zoluck@andhrabank.co.in
42	Indian Overseas Bank	Chief Regional Manager/State Head	Yes	General Manager	Shri J Satyanarayana	9701999924	jsatyaiob@gmail.com
43				Chief Regional Manager	Shri Rajesh Mathur	9500108290	lucknowgm@iob.in
44	Oriental Bank of Commerce	Zonal Head	Yes	General Manager	Shri P Sreedhar	8130777407	cmo_bb_ecup@obc.co.in

45				Dy. Gen. Manager	Shri Kamal K Manchanda	9717130222	kkmanchanda@obc.co.in
46				Chief Manager	Shri Bimal Kishore Pandey	8853942920	cmo-bb-ecup@obc.co.in
47	United Bank of India	Chief Regional Manager	Yes	Chief Regional Manager	Shri Kanwal Jeet Shorey	9935011116	crmlko@unitedbank.co.in
48	UCO Bank	Zonal Head	Yes	General Manager	Ms. Kalpana	7054845888	circleoffice.lucknow@ucobank.co.in
49	Vijaya Bank	Gen. Manager	No	Dy. Gen. Manager	Shri Devendra Kumar Mishra	9935057850	rmrolucknow@vijayabank.co.in
50	Bank of Maharashtra	State Head	Yes	Zonal Manager	Shri Ashok B Singh	9673990745	zmlucknow@mahabank.co.in
51	Baroda U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri D P Gupta	7704809183	chairman@barodarrb.co.in
52	Allahabad U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M N Patel	8127769700	chairman.augb@gmail.com
53	Gramin Bank of Aryavart	Chairman	Yes	Chairman	Shri S B Singh	7388800777	chairman.gba@gba-rrb.com
54	Prathma Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri M S Arora	9837036728	chairman@prathamabank.org
55	Purvanchal Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri A K Sinha	9415210544	chairmanpgb@gmail.com
56	Serve U.P. Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Anil Kr. Sharma	8130167878	cms@upgb.com
57	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	Chairman	Yes	Chairman	Shri Bhola Prasad	9415600700	chairman.kgsg@kgsgbank.co.in
58	U.P. Cooperative Bank Ltd.	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri R K Singh	9450133699	
59	UPSGVB	Managing Director	Yes	Managing Director	Shri Shri Kant Goswami	7518200000	
60				General Manager (P&D)	Shri A P Singh	7518200381	singh.ajaypal139@gmail.com
61	Axis Bank	Circle Head	Yes	Circle Head	Shri Apurv Gupta	9651001482	apurv.gupta@axisbank.com
62				Senior Manager	Ms. Mitali Savant	9889016931	mitali.savant@axisbank.com
63	HDFC Bank, Lucknow	Zonal Head	Yes	Regional Head, UP Region	Shri Sanjeev Kumar	9310768090	kumar.sanjeev@hdfcbank.com
64				Regional Head, Agri	Shri J J Singh	7682822324	jiwanjot.randhawa@hdfcbank.com
65				Dy. V.P. & Nodal Officer	Shri Anurag Gupta	9336820290	anuraag.gupta@hdfcban.com
66	Nainital Bank Ltd., Nainital	Chairman & CEO	No	Associate Vice President	Shri Amar Singh	7055101598	lucknow@nainitalbank.co.in
67	IDBI Bank Ltd.	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rizwan Khan	9628810088	rizwan.khan@idbi.co.in
68	ICICI Bank, Lucknow	Regional Head	Yes	Regional Head	Shri Shobhit K Chaudhary	8003698868	shobhit.chaudhary@icicibank.com
69				State SLBC Head	Shri Aftab A Khan	8756888141	aftab.alam@icicibank.com
70	The Karnataka Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager	No	Sr. Branch Manager	Shri Mukesh Kumar	8360916709	lucknow@ktkbank.com
71	Federal Bank	State Head	Yes	Area Head	Shri Anand Kumar	9651192042	anandkumar@federalbank.co.in
72	South Indian Bank, New Delhi	Dy. Gen. Manager/ State Head	No	Chief Manager	Shri Anand Kuriakose	9656823116	anand@sib.co.in
73	DFS, MoF, Govt. of India	Director	Yes	Director, DFS, MoF	Ms. Mudita Mishra	011-23362349	
74	Govt. of U.P.	Chief Secretary	Yes	Chief Secretary	Shri Rahul Bhagnagar, IAS		
75	Govt. of U.P.	Agriculture Production Commissioner	Yes	Agriculture Production Commissioner	Shri Chandra Prakash, IAS		
76	Govt. of U.P.	Principal Secretary, Institutional Finance	Yes	Addl. Chief Secretary & Financial Commissioner	Shri Anoop Chand Pandey, IAS		
77	Govt. of U.P.	Additional Chief Secretary, IT & Electronics	Yes	Additional Chief Secretary, IT & Electronics	Shri Sanjiv Saran	9910510101	sanjivsaran59@gmail.com
78	Agriculture	Principal Secretary, Agriculture	Yes	Principal Secretary	Shri Rajneesh Gupta, IAS		rgupta.up@nic.in
79	Social Welfare	Principal Secretary, Social Welfare	No	Special Secretary	Shri Sunil Kumar Srivastava	8953162386	skumar_82meh@yahoo.com
80	Govt. of U.P.	Secretary, KVIB	Yes	Secretary	Shri Ajay Kumar Singh, IAS	9935232351	ajay_frz@yahoo.co.in
81	SIDBI	State Head/General Manager	Yes	General Manager	Shri Arup Kumar	9870508754	arupkumar@sidbi.in
82	Revenue Deptt., GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	Secretary	Shri Ranjan Kumar, IAS		
83	Deptt. of Handlooms & Textiles and MSME, GoUP	Principal Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Sukh Lal Bharti, IAS	9415192002	
84				Dy. Commissioner	Shri K P Verma	9415268129	psdhtu17@gmail.com
85	Urban Development & SUDA	Secretary, GoUP	No	Director	Shri Shailendra Kumar Singh	8573038383	nulmup@gmail.com
86	SSI & Export Promotion	Secretary, GoUP	No	Special Secretary	Shri Rudra Pratap Singh, IAS	9415148048	
87	Planning Department	Principal Secretary	No	Secretary	Ms. Neena Sharma, IAS	9956333253	secplanningup@gmail.com
88	Board of Revenue	Commissioner & Secretary, GoUP	No	Dy. Commissioner	Shri Sri Prakash Gupta	8826375500	
89	Directorate of Industries, Kanpur	Commissioner & Director, GoUP	Yes	Commissioner & Director	Shri Ranvir Prasad, IAS	9760757868	ranvir.prasad@gmail.com
90				Addl. Director	Shri Vinay Kumar	9450137986	dikanpur@gmail.com
91				Dy. Director	Shri Ajay Bajpai	9451426070	ajaybajpai73@yahoo.co.in
92				Asstt. Director	Shri Jagdish Sahu	9453127545	jsahumsme@gmail.com
93	UPSRLM	Mission Director	Yes	Mission Director	Dr. Nitin Bansal, IAS	8953514444	mdsrlmup9@gmail.com

94				State Project Manager	Shri Om Prakash Chaturvedi	8176880399	upsrlm.pmmf@gmail.com
95	Directorate of Instt. Finance (DIF)	Director General	Yes	Director General	Shri Shiv Singh Yadav		
96				Addl. Director	Shri Rakesh Krishna		
97				Jt. Director	Shri Atul Kumar Chauhan		
98				Dy. Director	Shri Shiv Shankar	9935069749	shivshankar@yahoo.in
99				Seminar Coordinator	Dr. Suman Srivastava	0522-4026354	
100				Research Officer	Dr. Raghuvendra	9415654000	
101	UPSC Finance Corporation	Managing Director	No	No Participation			
102	Directorate of Agriculture	Director	No	Director (Statistics)	Ms. Sadhna Srivastava	9235629306	fcupagri@gmail.com
103				Director (Statistics)	Shri Vinod Kumar Singh	9235629305	agristat@gmail.com
104	Khadi & Village Industry Comm.	State Director	Yes	State Director	Shri R S Pandey	9454364925	kvic.lko2011@gmail.com
105	National Horticulture Board	Director	No	No Participation			
106	National Commission for SCs, GoI	Director	No	No Participation			
107	UP Minotiry Finance Dev. Corpn.	Managing Director	No	No Participation			
108	Khadi & Village Industry Board	Chief Executive Officer	Yes	Chief Executive Officer	Dr. Akhilesh Kumar Mishra, IAS	9412200877	acvatan@gmail.com
109	UP Bhoomi Sudhar Nigam	Managing Director	No	General Manager	Shri Alok Gupta	9415590430	UPBSNGM@GMAIL.COM
110	Police Headquarter	Director General	No	IG, Police	Shri S K Gupta	9454400198	
111	National Housing Bank	Regional Manager/DGM	Yes	Dy. Gen. Manager	Shri Vishal Goyal	(0)9717691285	vishal.goyal@nhb.org.in
112	Udyog Bandhu	Executive Director	No	Director (IR&GR)	Shri Ramendra Kushwaha	8765757197	ramendrakushwaha89@gmail.com
113	HUDCO	General Manager	Yes	General Manager	Shri Rahul Ji Srivastava	8004923416	rahulji.srivastava@gmail.com
114				Jt. General Manager	Shri R K Srivastava	9450932215	hudcolucknow@gmail.com
115	RSETI, MoRD	State Project Co-ordinator	Yes	State Director	Shri M. Minhajuddin	9450390877	mcspc.minhajuddin@gmail.com
116	LIC of India	Regional Manager	Yes	Senior Div. Manager	Shri Prashant Dixit	9161122111	prashant.dixit@licindia.com
117				Senior Branch Manager	Shri Harjeet Singh Sachdeva	9411451641	hs.sachdeva@licindia.com
118	Oriental Insurance Co. Ltd.	Regional Manager	No	Dy. Manager	Shri Ram Kishore	9415760701	ram.kishore@orientalinsurance.co.in
119	Agriculture Insurance Co. of India Ltd.	Chief Regional Manager	No	Asstt. Manager	Shri Prashant Kumar	9450101902	ro.lucknow@aicofindia.com
120	Planning Department	Principal Secretary	No	Secretary	Ms. Neena Sharma, IAS	9956333253	secplanningup@gmail.com
121	EPFO	Commissioner	Yes	Regional PF Commissioner	Shri Anil Kumar Pritam	9919548846	anilpritam@hotmail.com
122				SRO Lko	Shri Paritosh Dixit	9450017988	
				Special Invities			
123	Directorate of Census Operations	Dy. Director	No	Statistical Inf. Comm. I	Shri Kailash Bind	9453699455	bdkailash.189@rediff
124	UIDAI	Asstt. Director General	No	No Participation			
125	Animal Husbandry	Secretary, GoUP	Yes	Principal Secretry	Dr. Sudhir M Bobde, IAS	7705008501	psdd2016@gmail.com
126				Dy. Director	Dr. G. C. Pandey	9415580155	girish.pandey1960@gmail.com
127	Govt. of UP	OSD to Hon'ble CM		OSD to Hon'ble CM	Shri R B S Rawat	9917479710	rajbhushansrawat@gmail.com
128	Govt. of UP	Director, Media, Chief Secretary		Director, Media, Chief Secretary	Shri Divakar Khare	9453005368	
129	Govt. of UP	Dy. Director, Information		Dy. Director, Information	Shri H S Tripathi	9450321291	hstripathi09@gmail.com
130	Govt. of UP	NIC		Technical Director	Shri R K gangal	9412733668	
131	Deptt. of Telecom	Director	Yes	Director	Shri Ram Chandra	9196009600	diraitermlu-up@nic.in
132	Bank of Baroda			Dy. Gen. Manager	Shri A K Singh	0522-6677704	
133				Dy. Gen. Manager	Shri S B Prasad	0522-6677722	slbc.up@bankofbaroda.com
134				Dy. Gen. Manager	Shri Pankaj Srivastava	7880972333	pankaj_bob@rediffmail
135				Chief. Manager	Shri K. K Mathur	0522-6677721	slbc.up@bankofbaroda.com
136				Chief. Manager	Shri Govind Ji Pandey	9554968263	gorakh@bankofbaroda.com
137				Senior Manager	Shri B K Gupta	0522-6677730	ps.upu@bankofbaroda.com
138				Manager	Shri M N Srivastava	0522-6677725	slbc.up@bankofbaroda.com
139				Senior Manager	Shri Raj Kumar Jaiswal	0522-6677694	fi.upu@bankofbaroda.com
140				Manager	Shri Ayush Kr. Yadav	0522-6677725	cfip.upu@bankofbaroda.com
141				Officer	Ms Anjali Singh	0522-6677726	
142				Business Associates	Shri Arun Agarwal	0522-6677725	
143				Business Associates	Ms. Shikha Tripathi	0522-6677726	